झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन का उपयोग करते हुए एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मान्तरण तथा इससे जुड़े आनुषांगिक मामले के प्रतिषेध का उपबन्ध करने हेतु विधेयक।

भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**

(1) यह विधेयक झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ** - जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तबतक इस विधेयक में :-

(क) "प्रलोभन" से अभिप्रेत है निम्नलिखित रूप में किसी लालच का प्रस्ताव -

(i) नगद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या परितोषण,

(ii) कोई सामग्री लाभ, आर्थिक या अन्यथा देना,

(ख) "धर्मान्तरण" से अभिप्रेत है एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अंगीकार करना,

(ग) "धर्मान्तरित" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का एक धर्म छोड़ना और दूसरा धर्म अंगीकार करना,

(घ) "बल प्रयोग" के अन्तर्गत बल-प्रदर्शन या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसमें दैवी अप्रसाद या सामाजिक बहिष्कार की धमकी सम्मिलित है, शामिल होंगे,

(ङ) "कपट" में दुर्व्यपदेशन या कोई अन्य कपटपूर्ण उपाय सम्मिलित होगा,

(च) "देशी आस्था" से अभिप्रेत है ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, पर्व-त्योहार, अनुसरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदाओं के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं,

(छ) "अप्राप्त वय" से अभिप्रेत है अठारह वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति,

(ज) "धार्मिक आस्था" से अभिप्रेत है धर्म से जुड़ी आस्था, जिसमें देशी आस्था भी सम्मिलित है।

3. **बलपूर्वक धर्मान्तरण का प्रतिषेध** :-

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा।

4. **धारा-3 के उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड** -

धारा-3 में अन्तर्विष्ट उपबंध का उल्लंघन **करने** वाला कोई व्यक्ति किसी नागरिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्षों तक कारावास अथवा पचास **हजार** रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु यदि यह अपराध अप्राप्त वय, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति **के प्रति** किया गया है तो कारावास चार वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रूपये तक होगा।

5. **धर्मान्तरण के लिए पूर्वानुमति** -

(1) जो कोई किसी व्यक्ति को एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित करने के निमित्त एक धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं किसी संस्कार का आयोजन करता है अथवा ऐसे संस्कार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाग लेता है, उसे ऐसे प्रस्तावित धर्मान्तरण के लिए संबंधित जिला दंडाधिकारी से नियमावली द्वारा यथाविहित प्रारूप में आवेदन देकर पूर्वानुमति लेनी होगा।

(2) धर्मान्तरित व्यक्ति ऐसे धर्मान्तरण के तथ्यों के साथ जिस जिले में ऐसे संस्कार का आयोजन हुआ है उस जिला के जिला दंडाधिकारी को नियमों द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर और यथाविहित प्रारूप में संसूचित करेगा।

(3) जो कोई पर्याप्त कारण के बिना उपधारा-(1) एवं (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह एक वर्ष तक कारावास या पाँच हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

6. **अपराध का संज्ञेय होना** :-

इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा तथा इसका अनुसंधान पुलिस निरीक्षक से निम्न पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

7. **अभियोजन की स्वीकृति** :-

इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई भी अभियोजन जिला दंडाधिकारी द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही या अनुमण्डल पदाधिकारी के पद से अन्यून पद के ऐसे पदाधिकारी, जिसे कि वह (जिला दंडाधिकारी) इस संबंध में प्राधिकृत करे, द्वारा या पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा।

8. **नियम बनाने की शक्ति** :-

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

यह विधेयक झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक, 2017 दिनांक 12 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 12 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 32--50--18-8-2017